

4 12/20

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षका उपस्थित
 वकील पक्षकापत की वकीलदा कर्मा
 से प्राप्त कुलजात रिपोर्ट पर बहस सुनी जायी
 पत्रावली का अवलोकन एवं वकील पक्षकापत
 की उक्त कुलजात रिपोर्ट पर बहस सुनने
 के पश्चात वकीलदा कर्मा से प्राप्त कुलजात
 रिपोर्ट के आधार पर वकील का बत ईतिहा
 डिकी किपजिता है कि बत प्राप्त बत
 ख.नं. 68 रकबा 1.9347 हेक्टेयर स्थित
 ग्राम जंगारामपुरा वकील कर्मा जिला जयपुर
 में से ख.नं. 68, 68 कुल बिना 2 कुल रकबा
 0.6449 हेक्टेयर ग्राम खेतदा रोड पुन चौबुरा
 हि. 1/3 बिना रहत केलाहा, भगवानसहाय पुन
 चौबुरा हि. 2/3 राहित B.O.I संगठिका
 जाति कपाड़ा ब्रह्मण सा.डे.के हिसे में बहस
 तथा ख.नं. 68, 68 कुल बिना 2 कुल रकबा
 1.2898 हेक्टेयर ~~कि~~ ग्राम खेतदा खिरदी, वर
 पुन नापुरात $\frac{800}{12898}$ राहित PNB फाल्गवात पुन
 देवी पति नापुरात हि. $\frac{810}{12898}$ राहित B.O.I संगठिका
 जीतादेवी, लाली देवी पुन नापुरात हि. $\frac{106}{12898}$
 बिना रहत शंकर पुन नापुरात हि. $\frac{800}{12898}$
 लालचर पुन हरिनारायण हि. $\frac{1701}{12898}$ राहित PNB
 फाल्गवात कालुना पुन हरिनारायण हि.



क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

268 किता रहत खजीलाल पुत्र मोरपा
 12898
 हि. 1074 खानु पुत्र मोरपा हि. 1074
 12898 12898
 गुलबख पति कल्याण हि. 2246
 12898 मरणा
 जाति कागडा के दफ्तार सा. देह के हिस्से
 में रहेगी। इसी अनुसार राजान रिफाउ
 में अमल दरफत किया जावे। बुलजात
 व नमशे काउ अनुमोदन तहसीलदार कसमी
 को भेजे जावे। डिक्की फकी जाती हो। निरीप
 व डिक्की की पालना हेतु तहसीलदार कसमी
 को तहदीर जाती हो। पचावली के सल
 धुमाट होकर काउत व मील डालिल
 दफत हो।

आज्ञा दिनांक 4.12.20 को प्रह
 निरीप खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया